न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 161 सन 2022

अनवान :–

1. राकेश कुमार पुत्र अमरसिह पुत्र पूर्णराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. बाधुदेवी पत्नी पूर्णाराम जाति जाट साकिन गोरखाना तहसील नोहर।
2. कलावती उर्फ बायला पुत्री पूर्णराम जाति जाट साकिन गोरखाना तहसील नोहर।
3. रेशमा पुत्री पूर्णाराम जाति जाट साकिन गोरखाना तहसील नोहर।
4. सरस्वती पूत्री पूर्णाराम जाति जाट साकिन गोरखाना तहसील नोहर।
5. गोरीशंकर पुत्र पूर्णाराम जाति जाट साकिन गोरखाना तहसील नोहर।
6. शुभकरण पुत्र पूर्णाराम जाति जाट साकिन गोरखाना तहसील नोहर।
7. सोहनलाल उर्फ श्योनारायण पुत्र पूर्णाराम जाति जाट साकिन गोरखाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
8. बिमला पत्नी अमरसिह जाति जाट साकिन गोरखाना तहसील नोहर।
9. सरोज पुत्री अमरसिह जाति जाट साकिन गोरखाना तहसील नोहर।
10. भालसिह पुत्र अमरसिह जाति जाट साकिन गोरखाना तहसील नोहर।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 13/04/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा ढाणी रायकान के खाता संख्या 110 की कुल 29.2190हैक में श्योरानायण का 1062/3073 हिस्सा , खाता संख्या 344 की कुल 6.6390हैक में से श्योनारायण प्रतिवादी संख्या 7 का 1106/6639 हिस्सा रोही मौजा डुमासर के खाता संख्या 120 की कुल 9. 5380हैक में मृतक पूर्ण के नाम एव रोही मौजा गोरखाना के खाता संख्या 5 की कुल 3. 3890हैक भूमि मृतक अमरसिह के नाम एवं रोही मौजा गोरखाना के खाता संख्या 8 की कुल 12.8480हैक में मृतक अमरसिह का 16063/128480हिस्सा व गोरीशंकर प्रतिवादी संख्या 5 का 16063/128480हिस्सा एव प्रतिवादी संख्या 5 शुभकरण का 8031/64240 हिस्सा , एवं प्रतिवादी संख्या 7 का 8031/64240 हिस्सा एव खाता संख्या 132 की कुल 13.2660हैक में से मृतक अमरसिह, गोरीशंकर, प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ,4 ,5 ,7 प्रत्येक का 1/16 हिस्सा व रोही मोजा जैतासरी के खाता संख्या 65 की कुल 13.4669 हैक में गोरीशंकर , व शुभकरण प्रत्येक 1/2 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पूर्वज एवं प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज है जिसमें से अमरसिह पुत्र पूर्णाराम का देहान्त हो गया है जिसके जायज वारिसान वादी तथा प्रतिवादी संख्या 8 ता 10 है जो अमरसिह के नाम दर्ज भूमि को विरास्तन से पाने के अधिकारी है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भिन्न चकों में वादी के पूर्वज एवं प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज है।

प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 पूर्णाराम की पुत्रीया है एवं वादी की बुआ है तथा प्रतिवादी संख्या 8 वादी की माता प्रतिवादी संख्या 9 वादी की बहन है प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ,8, 9 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाई/भतिजों /पुत्रों के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,5 ता 7 ,10 के हक हिस्सा की भूमि है।

Scanned with CamScanner

वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,5 ता 7 ,10 एक ही परिवार के सदस्य है तथा वाद भूमि भिन्न चकों में स्थित होने के कारण काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,5 ता 7 10 ने आपसी सहमति से वाद भूमि का बाहमी बटवारा कर लिया था उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है किन्तु राजस्व रिकार्ड में भूमि बाहमी बटवारा के अनुसार दर्ज नही है जिसे बाहमी बटवारा जो वाद की मद संख्या 4 में दर्ज है के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 को कई मर्तबा कहा की वाद भूमि बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की सयुक्त खाते में दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के बाहमी बटवारा वाद की मद संख्या 4 के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 ने निवेदन किया की वाद भूमि सयुक्त खाते में वादी के पूर्वज एव प्रतिवादीगण के नाम सयुक्त खाते में दर्ज है जिसमें से अमरसिह का देहान्त हो गया है जिसके जायज वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 8 ता 10 है जो अमरसिह के नाम दर्ज भूमि पाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ,8 ,9 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/भतिजो/पुत्रों वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,5 ता 7 , 10 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,5 ता 7 ,10 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,5 ता 7 ,10 के बाहमी बटवारा के अनुसार नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 11 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा ढाणी रायकान के खाता संख्या 110 की कुल 29.2190हैक में श्योरानायण का 1062/3073 हिस्सा , खाता संख्या 344 की कुल 6.6390हैक में से श्योनारायण प्रतिवादी संख्या 7 का 1106/6639 हिस्सा रोही मौजा डुमासर के खाता संख्या 120 की कुल 9.5380हैक में मृतक पूर्ण के नाम एव रोही मौजा गोरखाना के खाता संख्या 5 की कुल 3.3890हैक भूमि मृतक अमरसिह के नाम एवं रोही मौजा गोरखाना के खाता संख्या 8 की कुल 12.8480हैक में मृतक अमरसिह का 16063/128480हिस्सा व गोरीशंकर प्रतिवादी संख्या 5 का 16063/128480हिस्सा एव प्रतिवादी संख्या 5 शुभकरण का 8031/64240 हिस्सा , एवं प्रतिवादी संख्या 7 का 8031/64240 हिस्सा एव खाता संख्या 132 की कुल 13.2660हैक में से मृतक अमरसिह, गोरीशंकर, प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ,4 ,5 ,7 प्रत्येक का 1/16 हिस्सा व रोही मोजा जैतासरी के खाता संख्या 65 की कुल 13.4669 हैक में गोरीशंकर , व शुभकरण प्रत्येक 1/2 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पूर्वज एवं प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज है जिसमें से अमरसिह पुत्र पूर्णाराम का देहान्त हो गया है जिसके जायज वारिसान वादी तथा प्रतिवादी संख्या 8 ता 10 है जो अमररिह के नाम दर्ज भूमि को विरास्तन से पाने के अधिकारी है।

Scanned with CamScanner

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भिन्न चकों में वादी के पूर्वज एवं प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज है।

प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 पूर्णाराम की पुत्रीया है एवं वादी की बुआ है तथा प्रतिवादी संख्या 8 वादी की माता प्रतिवादी संख्या 9 वादी की बहन है प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ,8, 9 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाई/भतिजों /पुत्रों के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,5 ता 7 ,10 के हक हिस्सा की भूमि है।

वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,5 ता 7 ,10 एक ही परिवार के सदस्य है तथा वाद भूमि भिन्न चकों में स्थित होने के कारण काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,5 ता 7 10 ने आपसी सहमति से वाद भूमि का बाहमी बटवारा कर लिया था उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है किन्तु राजस्व रिकार्ड में भूमि बाहमी बटवारा के अनुसार दर्ज नही है जिसे बाहमी बटवारा जो वाद की मद संख्या 4 में दर्ज है के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ढाणी रायकान के खाता संख्या 110 की कुल 29.2190हैक में श्योरानायण का 1062/3073 हिस्सा , खाता संख्या 344 की कुल 6.6390हैक में से श्योनारायण प्रतिवादी संख्या 7 का 1106/6639 हिस्सा रोही मौजा डुमासर के खाता संख्या 120 की कुल 9.5380हैक में मृतक पूर्ण के नाम एव रोही मौजा गोरखाना के खाता संख्या 5 की कुल 3.3890हैक भूमि मृतक अमरसिह के नाम एवं रोही मौजा गोरखाना के खाता संख्या 8 की कुल 12.8480हैक में मृतक अमरसिह का 16063/128480हिस्सा व गोरीशंकर प्रतिवादी संख्या 5 का 16063/128480हिस्सा एव प्रतिवादी संख्या 5 शुभकरण का 8031/64240 हिस्सा , एवं प्रतिवादी संख्या 7 का 8031/64240 हिस्सा एव खाता संख्या 132 की कुल 13.2660हैक में से मृतक अमरसिह, गोरीशंकर, प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ,4 ,5 ,7 प्रत्येक का 1/16 हिस्सा व रोही मोजा जैतासरी के खाता संख्या 65 की कुल 13.4669 हैक में गोरीशंकर , व शुभकरण प्रत्येक 1/2 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पूर्वज एवं प्रतिवीदगण के नाम सयुक्त खाते में दर्ज है अमरसिह एव पूर्णाराम का देहान्त हो गया है जिसके जायज वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 8 ता 10 , वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 है जो अमरसिह एवं पूर्णाराम की भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ,8, 9 वादी की बुआ/बहने माता है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,5 ता 7 ,10 के पक्ष में किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,5 ता 7 ,10 के हक हिस्सा की भूमि है एव वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,5 ता 7 ,10 ने आपसी सहमति से वाद भूमि का बाहमी बटवार किया हुआ है उसी के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ,8 ,9 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होने अपने हको का त्याग किया हुआ है वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,5 ता 7 ,10 के हक हिस्सा की भूमि है तथा वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,5 ता 7 , 10 ने निवेदन किया वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,5 ता 7, 10 के मध्य बाहमी बटवारा वाद की मद संख्या 4 के

Scanned with CamScanner

अनुसार हो चुका है उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है उसी के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने अपने कथनो के समर्थन में ईकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ,8 ,9 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि

रोही मोजा ढाणी राईकान के खाता संख्या 110 में श्योनारायण के नाम 1062/3073 हिस्सा भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 10 का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 का 3/4 हिस्सा बहिब तथा खाता संख्या 344 में श्योनारायण के नाम दर्ज 1106/6639 हिस्सा भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 10 का 1/4 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 का 3/4 हिस्सा बहिब दर्ज किया जाता है व रोही मौजा डुमासर के खाता संख्या 120 की कुल 9.5380हैक भूमि में मृतक पूर्णा का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 10 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 बहिब 3/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है इसीप्रकार रोही मौजा गोरखाना के खाता संख्या 5 में मृतक अमरसिह का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 10 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 बहिब 3/4 हिस्सा व रोही मौजा गोरखाना के खाता संख्या 8 में मृतक अमरसिह के नाम 16063/128480हिस्सा दर्ज में अमरसिह का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 10 बहिब के एव खाता संख्या 132 की कुल 13.2660हैक भूमि मे मृतक अमरसिह व प्रतिवादी संख्या 2 बायला व प्रतिवादी संख्या 3 रेशमा , प्रतिवादी संख्या 4 सरस्वती का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 10 का 1/8 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 का 3/8 हिस्सा बहिब दर्ज किया जाता है व रोही मौजा जेतासर के खाता संख्या 65 की कुल 13.4669हैक भूमि में गोरीशंकर व शुभकरण व सोहनलाल उर्फ श्योनाराण तीनो 3/4 हिस्सा बहिब तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 10 का 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 13/04/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. राकेश कुमार पुत्र अमरसिह पुत्र पूर्णराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 बाधुदेवी पत्नी पूर्णाराम जाति जाट साकिन गोरखाना तहसील नोहर।
2. कलावती उर्फ बायला पुत्री पूर्णराम जाति जाट साकिन गोरखाना तहसील नोहर।
3. रेशमा पुत्री पूर्णाराम जाति जाट साकिन गोरखाना तहसील नोहर।
4. सरस्वती पूत्री पूर्णाराम जाति जाट साकिन गोरखाना तहसील नोहर।
5. गोरीशंकर पुत्र पूर्णाराम जाति जाट साकिन गोरखाना तहसील नोहर।
6. शुभकरण पुत्र पूर्णाराम जाति जाट साकिन गोरखाना तहसील नोहर।
7. सोहनलाल उर्फ श्योनारायण पुत्र पूर्णाराम जाति जाट साकिन गोरखाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
8. बिमला पत्नी अमरसिह जाति जाट साकिन गोरखाना तहसील नोहर।
9. सरोज पुत्री अमरसिह जाति जाट साकिन गोरखाना तहसील नोहर।
10. भालसिह पुत्र अमरसिह जाति जाट साकिन गोरखाना तहसील नोहर।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 161 सन 2022 निर्णय दिनांक–13/04/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मोजा ढाणी राईकान के खाता संख्या 110 में श्योनारायण के नाम 1062/3073 हिस्सा भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 10 का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 का 3/4 हिस्सा बहिब तथा खाता संख्या 344 में श्योनारायण के नाम दर्ज 1106/6639 हिस्सा भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 10 का 1/4 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 का 3/4 हिस्सा बहिब दर्ज किया जाता है व रोही मौजा डुमासर के खाता संख्या 120 की कुल 9.5380हैक भूमि में मृतक पूर्णा का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 10 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 बहिब 3/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है इसीप्रकार रोही मौजा गोरखाना के खाता संख्या 5 में मृतक अमरसिह का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 10 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 बहिब 3/4 हिस्सा व रोही मौजा गोरखाना के खाता संख्या 8 में मृतक अमरसिह के नाम 16063/128480हिस्सा दर्ज में अमररिह का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 10 बहिब के एव खाता संख्या 132 की कुल 13.2660हैक भूमि मे मृतक अमरसिह व प्रतिवादी संख्या 2 बायला व प्रतिवादी संख्या 3 रेशमा , प्रतिवादी संख्या 4 सरस्वती का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 10 का 1/8 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 का 3/8 हिस्सा बहिब दर्ज किया जाता है व रोही मौजा जेतासर के खाता संख्या 65 की कुल 13.4669हैक भूमि में गोरीशंकर व शुभकरण व सोहनलाल उर्फ श्योनाराण तीनो 3/4 हिस्सा बहिब तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 10 का 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 13/04/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner